



प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

| क्रमांक | संबंधित शाखा | ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार | मांग/ बकाया राशि | साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार | आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि | |
|---------|--------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------|
| | | | | | बिड वृद्धि राशि | |
| 1. | शहडोल | 1. मे. सत्या मंगलम मोटर्स प्रोप श्री तरकेश्वर द्विवेदी पिता श्री पी एस द्विवेदी (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) पता :- धर्मकांटे के पास पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स बुढ़ार रोड शहडोल (म.प्र.) 2. श्री तरकेश्वर द्विवेदी पिता श्री पी एस द्विवेदी (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) 3. श्रीमति चम्पा देवी पत्नी श्री पी एस द्विवेदी (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) पता :- वार्ड क्रमांक 7 शिव नगर MPEB ऑफिस के पीछे , मुंडा ब्रिज के पास शहडोल (म.प्र.) | रु. 2,07,88,508.00 /- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय | संपत्ति क्रमांक 1.खसरा क्र. 1139 आकाशवाणी के पीछे वार्ड क्र.01 पाली रोड के पास शहडोल (म.प्र.) भू- स्वामी श्री तरकेश्वर द्विवेदी चतुरसीमा पूर्व :- सड़क,पश्चिम :- शफी खान की भूमि ,उत्तर :- सलमान खान की भूमि, दक्षिण:- सरकारी तालाब, क्षेत्रफल :-54450 वर्ग फीट /प्रलक्षित कब्जा | रु | 2,05,00,000 |
| | | | | | रु | 20,50,000 |
| | | | | | रु | 1,00,000 |
| | | | | | रु | 90,50,000 |
| | | | | | रु | 9,05,000 |
| | | | | | रु | 1,00,000 |
| 2. | शहडोल | 1.मे. हरी मोटर्स प्रो. सुनील कुमार विश्वकर्मा पिता श्री त्रिवेणी प्रसाद विश्वकर्मा (मूल उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) पता;-वार्ड क्र. 32 मेवाड़ अस्पताल के सामने बुढ़ार रोड शहडोल (म.प्र.) 2. श्री सुनील कुमार विश्वकर्मा पिता श्री त्रिवेणी प्रसाद विश्वकर्मा (मूल उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) पता;- वार्ड न . 17 बाणगंगा कॉलोनी शहडोल (म.प्र.) 3. श्री तरकेश्वर द्विवेदी पिता श्री पी एस द्विवेदी (उधारकर्ता) पता :- वार्ड क्रमांक 7 शिव नगर MPEB ऑफिस के पीछे , मुंडा ब्रिज के पास शहडोल (म.प्र.) | रु.1,57,43,445.00 + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय | संपत्ति :- खसरा क्र. 562/3/क/1 ग्राम कटकोना पटवारी हल्का क्र.17 शहडोल- बुढ़ार मुख्य मार्ग पर शहडोल (म.प्र.) भू-स्वामी श्री सुनील कुमार विश्वकर्मा पिता त्रिवेणी प्रसाद विश्वकर्मा चतुरसीमा पूर्व :- लक्ष्मीचंद की भूमि ,पश्चिम :- सुरेश कुमार की भूमि ,उत्तर :- रामायण बरगहिया की भूमि, दक्षिण:- एन एच 78, क्षेत्रफल :-40640 वर्ग फीट /प्रलक्षित कब्जा | रु | 2,09,50,000 |
| | | | | | रु | 20,50,000 |
| | | | | | रु | 1,00,000 |
| 3. | शहडोल | 1. श्रीमति चम्पा देवी पत्नी श्री पी एस द्विवेदी (मूल उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) पता :- वार्ड क्रमांक 7 शिव नगर MPEB ऑफिस के पीछे , मुंडा ब्रिज के पास शहडोल (म.प्र.) 2. श्री तरकेश्वर द्विवेदी पिता श्री पी एस द्विवेदी (गारंटीदाता) पता :- वार्ड क्रमांक 7 शिव नगर MPEB ऑफिस के पीछे , मुंडा ब्रिज के पास शहडोल (म.प्र.) 3. श्री शरद मिश्रा पिता श्री कामता प्रसाद मिश्रा (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) वार्ड क्र.11 दुर्गा कॉलोनी एसपी बंगले की पीछे शहडोल (म.प्र.) | रु.46,01,751.00 + ब्याज + विधिक व्यय | संपत्ति :- खसरा क्र.1826/50 वार्ड क्र.11 दुर्गा कॉलोनी एस पी बंगले के पीछे सेंट्रल अकेडमी स्कूल के पास शहडोल (म.प्र.),भू स्वामी:-श्री शरद मिश्रा पिता श्री कामता प्रसाद मिश्रा चतुरसीमा पूर्व :- कुँवर साहब की जमीन,पश्चिम :- संतोष सोनी की भूमि ,उत्तर :- संतोष सोनी की भूमि, दक्षिण:- रास्ता, क्षेत्रफल :-2025 वर्ग फीट /प्रलक्षित कब्जा | रु | 33,30,000 |
| | | | | | रु | 3,33,000 |
| | | | | | रु | 50,000 |
| 4. | शहडोल | 1.मे. गजानन मोटर्स प्रोप श्री तरकेश्वर द्विवेदी पिता श्री पी एस द्विवेदी (मूल उधारकर्ता) 2. श्री तरकेश्वर द्विवेदी पिता श्री पी एस द्विवेदी (मूल उधारकर्ता) पता :- वार्ड क्रमांक 7 शिव नगर MPEB ऑफिस के पीछे , मुंडा ब्रिज के पास शहडोल (म.प्र.) 3. श्री राजेश पाल रायजदा पिता श्री सत्यापाल रायजदा (गारंटीदाता / संपत्ति बंधककर्ता) पता :- ग्राम फतेहपुर सिंहपुर रोड शहडोल | रु.1,29,59,137.00 + ब्याज + विधिक व्यय | संपत्ति क्रमांक 2.खसरा क्र. 57 सिंहपुर रोड पौड़ा नाला के पास ग्राम फतेहपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.) भू- स्वामी श्री राजेश पाल पिता श्री सत्यपाल रायजदा चतुरसीमा पूर्व :- सत्याप्रकाश मिश्रा,पश्चिम :- सत्याप्रकाश मिश्रा एवं रेल्वे की भूमि ,उत्तर :- सत्याप्रकाश मिश्रा, दक्षिण:- कच्चा रास्ता, क्षेत्रफल :-43560 वर्ग फीट /प्रलक्षित कब्जा | रु | 1,80,00,000 |
| | | | | | रु | 18,00,000 |
| | | | | | रु | 1,00,000 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|--|---|----|-------------|
| 5. | शहडोल | <p>1.श्रीमति आशा पाण्डेय पत्नी रामभूषण पाण्डेय (उधारकर्ता)</p> <p>2.श्री राम किंकर पाण्डेय पुत्र श्री रोहिणी प्रसाद पाण्डेय (उधारकर्ता)</p> <p>वारिसगण (क) श्रीमति अहिल्या पाण्डेय पत्नी स्व. श्री राम किंकर पाण्डेय,</p> <p>(ख) श्री अशोक पाण्डेय पुत्र स्व. श्री राम किंकर पाण्डेय,</p> <p>(ग) श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय पुत्र स्व. श्री राम किंकर पाण्डेय</p> <p>3.श्री राम भूषण पाण्डेय पुत्र श्री रोहिणी प्रसाद पाण्डेय (उधारकर्ता)</p> <p>पता :- वार्ड क्र. 17 इंद्रा चौक न्यू बस स्टैंड के पास शहडोल (म.प्र.)</p> <p>4. श्रीमति विभा पाण्डेय पत्नी श्री अनिल पाण्डेय (गारंटीदाता)</p> <p>5. श्रीमति आशा पाण्डेय पत्नी श्री अविनाश पाण्डेय (गारंटीदाता)</p> <p>6. श्री उदित नारायण पुत्र श्री जगत नारायण (गारंटीदाता)</p> <p>7. श्री अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र सत्यनारायण पाण्डेय (गारंटीदाता)</p> <p>8. श्री अविनाश पाण्डेय पुत्र सत्यनारायण पाण्डेय (गारंटीदाता)</p> <p>9. श्री अरुण कुमार पाण्डेय पुत्र सत्य नारायण पाण्डेय (गारंटीदाता)</p> <p>10. श्रीमति वीणा पाण्डेय पत्नी श्री अरुण पाण्डेय (गारंटीदाता)</p> <p>11. श्री राम प्रकाश चतुर्वेदी पुत्र मंगल प्रसाद (गारंटीदाता)</p> <p>पता:- वार्ड क्र. 18 सोहागपुर शहडोल (म.प्र.)</p> | रु.1,23,65,435.00 + ब्याज + विधिक व्यय | संपत्ति :- खसरा क्र.120,88/32 बलपुरवा वार्ड 17 तहसील सोहागपुर शहडोल मध्य प्रदेश -484001 (म.प्र.), भू स्वामी :- श्री राम किंकर पांडे पुत्र श्री रोहिणी प्रसाद पांडे एवं श्रीमति आशा पाण्डेय पत्नी श्री राम भूषण पाण्डेय ,चतुरसीमा पूर्व :- बस स्टैंड एवं इंद्रा चौक के लिए सड़क , पश्चिम :- राजेंद्र प्रसाद , गंगा प्रसाद त्रिपाठी, इलाहाबाद टैलर का मकान , उत्तर :- कृष्ण दव चौहानकी भूमि, दक्षिण:- मुरली प्रसाद एवं गणेश प्रसाद गुप्ता का मकान, क्षेत्रफल :- 5890 वर्ग फीट / प्रलक्षित कब्जा | रु | 2,03,00,000 |
| | | | | | रु | 20,30,000 |
| | | | | | रु | 1,00,000 |
| 6. | शहडोल | <p>1.श्री अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र सत्यनारायण पाण्डेय (मूल उधारकर्ता)</p> <p>पता :-वार्ड क्र.18 सोहागपुर शहडोल (मध्य प्रदेश)</p> <p>2.श्री अनुपम अनुराग अवस्थी पुत्र श्री मनोकामना अवस्थी (गारंटीदाता)</p> <p>पता :-वार्ड क्र.13 घोला मोहल्ला सिंग डेलस स्कूल के पास मेन रोड शहडोल (मध्य प्रदेश)</p> | रु.15,42,368.00 + ब्याज + विधिक व्यय | संपत्ति :- खसरा क्र.59 , वार्ड क्र.23 टी वी एस शोरूम के पीछे ग्राम सोखी जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) पिन-484001, भू स्वामी :- श्री अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र सत्यनारायण पाण्डेय ,चतुरसीमा पूर्व :- डॉ सक्सेना , पश्चिम :- अनिल व अन्य, उत्तर :- भोला सिंह, दक्षिण:- रास्ता, क्षेत्रफल :- 4790.00 वर्ग फीट / प्रलक्षित कब्जा | रु | 80,55,000 |
| | | | | | रु | 8,05,500 |
| | | | | | रु | 50,000 |
| 7. | शहडोल | <p>1. श्री प्रशांत सिंह पुत्र स्वा. रावेन्द्र सिंह (मूल उधारकर्ता)</p> <p>2.श्रीमति सविता सिंह पत्नी स्वा. रावेन्द्र सिंह (गारंटीदाता)</p> <p>वार्ड क्र. 18 पुराना आर टी ओ ऑफिस के पास ,शहडोल (मध्य प्रदेश)</p> | रु.10,17,193.00 + ब्याज + विधिक व्यय | संपत्ति :- खसरा क्र.7/3 एवं 6/10 , वार्ड क्र.18 ग्राम सोखी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) पिन-484001, भू स्वामी :- श्रीमति सविता सिंह पत्नी स्वा. रावेन्द्र सिंह ,चतुरसीमा पूर्व :- रास्ता, पश्चिम :- किशोर चंद जैन की भूमि, उत्तर :- अर्जुन गुप्ता की भूमि, दक्षिण:- अजित सिंह की भूमि, क्षेत्रफल :- 2834.00 वर्ग फीट / प्रलक्षित कब्जा | रु | 50,00,000 |
| | | | | | रु | 5,00,000 |
| | | | | | रु | 50,000 |

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें। हेल्पलाइन नंबर 033-22901004, क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल या श्री अभिषेक कुमार (मो.6260762262) प्राधिकृत अधिकारी शाखा शहडोल से संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण दिनांक 1/09/2023 एवं 02/09/2023 को कर सकते हैं। ये संबन्धित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन पंद्रह (15) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 25/08/2023
स्थान: शहडोल (म.प्र.)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 12/09/2023

विस्तृत नियम एवं शर्तें

| ई-नीलामी तिथि एवं समय | ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय |
|---|---|
| 12/09/2023 समय: प्रातः 11.00 बजे से साँय 5.00 बजे तक | 11/09/2023 साँय 5.00 बजे तक |

नियम एवं शर्तें

- ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
- नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – दिनांक 12.09.2023 को (प्रातः 11.00 बजे से साँय 5.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है।
- विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल अ) <http://www.centralbankofindia.co.in> पर आएँ व ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> है।
- निविदाकर्ता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर विजिट कर सकते हैं जहाँ निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।
निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।
द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ग्लोबल ईमडी वालेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।
कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।
- ई-नीलामी प्लेटफार्म (<https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता- एमएसटीसी लि. द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी,ए.जी.सी. बोस रोड, कोलकाता- 700020 में है। इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को ई-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट <http://www.centralbankofindia.co.in>, <http://ibapi.in> और <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का e-बिक्रय आईबीएपीआई के पोर्टल

(<http://www.ibapi.in>) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 033-22901004 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ग्लोबल ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए (EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात (<https://www.mstcecommerce.com>) निविदाकर्ता के ग्लोबल ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।
8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय **दिनांक 11.09.2023 साँय 5.00 बजे तक**।
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धृत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में संबन्धित संपत्ति के सामने उद्धृत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा. (प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। **निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।**
13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बढ़े हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

| खाता संख्या | खाता का नाम | आईएफएससी कोड / शाखा नाम |
|-------------|----------------------------------|--|
| 5357325608 | AUTHORISED OFFICER RO SHAHDOL | CBIN0280787 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शहडोल, शहडोल |

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समायावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुनः नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
16. सभी विक्रय प्राप्ति के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्युटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियाँ, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है। अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।
18. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार/देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार, गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, (अगर कोई है)। आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।
20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध एमाएसटीसी के वेब पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com>, www.ibapi.in और www.Centralbankofindia.co.in पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृत शर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।
21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि न सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।
23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : **संबन्धित शाखा - शहडोल (मो. 6260762262 श्री अभिषेक कुमार प्राधिकृत अधिकारी)**, से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए **श्री रामा कान्त मिश्रा मो.9693096247**, क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल, ईमेल- recvshahro@centralbank.co.in से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : शहडोल

दिनांक : 25/08/2023

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी